न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 180 / 2016

1 सार्वजनिक निर्माण विभाग पी.डब्ल्यू.डी तन नीमकाथाना जरिये प्रभारी सहायक अभियन्ता सा.नि. विभाग उपखण्ड नीमकाथाना।
2 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
3 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिलाधीश महोदय, सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 लाडा देवी बेवा हणमान।
2 मालीराम पुत्र हणमान।
3 श्योपाल पुत्र हणमान।
4 चौथमल पुत्र हणमान।
5 बनवारी पुत्र हणमान।
6 जयनारायण पुत्र हणमान।
7 छोटूलाल पुत्र हणमान समस्त जाति अहिर निवासीगण ढ़ाणी चारावाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना वाद
पत्र संख्या 84 / 2013 उनवानी लाडादेवी
बनाम राजस्थान सरकार आदि दिनांक
10.10.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. राजकीय, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 84/2013 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 736 रकबा ग्यारह बिस्वा ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना में अवस्थित है। उक्त भूमि खातेदारी जमाबंदी संवत 2019 से 2022 में वादिया नम्बर 1 के पति व वादी नम्बर 2 ता 7 के पिता हनुमान पुत्र मांगू के नाम अंकित थी। पहले हनुमान काश्त करता था बाद में वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त खसरा नमबर 736 के पास वादीगण की अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 729,730,735,737 से 741 स्थित है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 736 नीमकाथाना शाहपुरा रोड़ से करीब पोन किलोमीटर दूर है। उक्त खसरा नम्बर में कोई सड़क का निर्माण नही हुआ न वादीगण के पिता, पति को भूमि खसरा नम्बर 736 का मुआवजा दिया गया न कोई कब्जा लिया गया बल्कि उक्त खसरा नम्बर सम्पूर्ण पर वादीगण काबिज काश्त है। उक्त भूमि में से 8 बिस्वा भूमि का बाला—बाला गलत तौर से नामान्तकरण संख्या 221 प्रतिवादी संख्या 2 पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के नाम दर्ज किया जाकर दिनांक 08.09.1965 को तत्कालीन तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा स्वीकार करने की कार्यवाही की गई। उक्त खातेदारी बाबत स्व. हनुमान को कोई जानकारी नही हुई। नये सेटलमेंट में खसरा नम्बर 736/1 रकबा 0.10 हैक्टेयर के नए खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.10 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 736/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर के नए खसरा नम्बर 1148 रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज किए गए है। वादीगण ने दिनांक 22.02.2013 को नवीन जमाबन्दी संवत 2067—70 की नकल प्राप्त की

राजस्व अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

व उक्त नामान्तकरण आदि की नकले प्राप्त की तब उक्त कारगुजारी का पता चला। इस पर विचाराधीन वाद विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में कुल 5 तनकीयात कायम की गई थी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत गिरदावरियों में कही भी रेस्पोडेंट की काश्त दर्ज नही है। वादी के कब्जे का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विवादित भूमि का नामान्तकरण 1965 में अपीलांट के नाम दर्ज किया गया है। इस नामान्तकरण को रेस्पोडेंट ने कभी भी चुनौती नही दी है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का समुचित विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने नामान्तकरण दर्ज होने के 48 साल बाद प्रस्तुत वाद को बिना किसी न्यायोचित विलम्ब का कारण बताये मियाद के बिन्दु को नजर अंदाज कर दिया है। इसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की अवाप्ति अथवा मुआवजे का कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। मौके पर अपीलांट का कब्जा नही है मौके पर सड़क अवस्थित नही है। नामान्तकरण बिना किसी आदेश के पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में कुल 5 तनकीयात कायम की गई थी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत गिरदावरियों में कही भी रेस्पोडेंट की काश्त दर्ज नही है। वादी के कब्जे का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विवादित भूमि का नामान्तकरण 1965 में अपीलांट के नाम दर्ज किया गया है। इस नामान्तकरण को रेस्पोडेंट ने कभी भी चुनौती नही दी है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का समुचित विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने नामान्तकरण दर्ज होने के 48 साल बाद प्रस्तुत वाद को बिना किसी न्यायोचित विलम्ब का कारण बताये मियाद के बिन्दु को नजर अंदाज कर दिया है। इसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विवादित भूमि पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के नाम दर्ज रिकार्ड है। विचारण न्यायालय ने इस भूमि की किस्म परिवर्तन किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इस बिन्दु पर कोई तनकी भी कायम नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के अनुसार पुन सुनवाई कर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर